

महतारी वंदन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री वशिष्ठ देव सहाय ने घोषणा की कि वे **तीजा-पोरा (2 सितंबर) महतारी वंदन उत्सव** के दौरान महतारी वंदन योजना की 7वीं कश्ति जारी करेंगे, जिसके तहत 70 लाख महिला लाभार्थियों को 1,000-1,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।

मुख्य बंदि:

- पात्रता: छत्तीसगढ़ का नविसी होना चाहिये, 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष की आयु होनी चाहिये और इसमें वविाहति महिलाएँ, वधिवाएँ, तलाकशुदा व परतियक्त महिलाएँ शामिल हैं।
 - अपवर्जन: आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
- शुभारंभ: भारत के प्रधानमंत्री 10 मार्च, 2024 को महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करेंगे और पहली कश्ति जारी करेंगे।
- सहायता: 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं (वविाहति, वधिवा, तलाकशुदा या परतियक्त) को 1,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।
- लाभार्थी: 70 लाख से अधिक महिलाओं का चयन किया गया; 6 कश्तें हस्तांतरति की जा चुकी हैं।
- भुगतान: महिला एवं बाल विकास वभाग द्वारा मार्च से अगस्त तक 39.23 बलियिन रुपए का भुगतान किया गया।
- तीजा-पोरा: तीजा-पोरा खेती की प्रक्रिया में बैलों और भैंसों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये उनके सम्मान तथा सराहना हेतु मनाया जाता है।
 - यह कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है और इसमें इन पशुओं के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता दर्शाने के लिये अनुष्ठान किये जाते हैं।